<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.
नि.फौ.प्रकरण संख्या - 1328/2024

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

अभिषेक उर्फ लवी जेठी पुत्र मनोज जेठी, निवासी-छप्पन लाख कोलोनी, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़

अभियुक्त....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 365, 368, 504, 327 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री योगेश कुमार गोयल, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 30-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365, 368, 504, 327 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21-12-2024 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28-06-2024 को फरियादी रितेश चौधरी ने उपस्थित पुलिस थाना अकलेरा होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 28.0602924 को दिन के 2.30 पीएम-3.00 पीएम के लगभग की बात है कि वह अपनी दुकान जो बाईपास रोड़ अनुमान जी की ढोली पर स्थित है जहां उसकी इलेक्ट्रोनिक की दुकान है। उस वक्त उसका बच्चा भी दुकान पर बैठा हुआ था व दुकान पर सीसी कैमरा भी लगा हुआ है जहां पर उक्त मुल्जिम लवी दुकान में घुस आया व आते ही गाली गलौच करने लगा व उसको खींचकर दुकान से बाहर खींच लाया व मारपीट करने लगा जिससे उसके सीधे हाथ की अंगुली पर व उल्टे हाथ की कोहनी के पास व आंख के उपर व पीठ पर व सिर में चोटें लगी हैं व मुल्जिम ने उसका मोबाईल भी फेंक दिया व मुल्जिम ने उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया व उसको बंधक बनाकर उसके घर 56 लाख कोलोनी में एक घंटै तक बैठाए रखा व वहां भी मुल्जिम ने उसके साथ मारपीट करी व पैसों की मांग करी व नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी तथा मुल्जिम ने 2 घंटे बाद उसको जाने दिया। उसकी पत्नी व पिता मुल्जिम के घर गए थे जिसके साथ भी मुल्जिम ने गाली गलौच की।, इत्यादि।

03- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 316/2024, अन्तर्गत धारा 342, 323, 504 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 365, 368, 504, 327 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इसी धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्त को धारा 365, 368, 504, 327 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 रितेश कुमार चौधरी, पी.डब्ल्यू. 02 मोहम्मद शाहरूख, पी.डब्ल्यू. 03 निरंजन कुमार, पी.डब्ल्यू. 04 नमोनारायण, पी.डब्ल्यू. 05 दिलीप कुमार, पी.डब्लयू. 06 आरूष चौधरी, पी.डब्ल्यू. 07 अब्दुल सलीम, पी.डब्ल्यू. 08 रामावतार, पी.डब्ल्यू. 09 अन्तिमा को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 01 लगायत प्रदर्श पी. 09 व पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 व डी. 02 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। अभियुक्त पक्ष की ओर की गवाह डी.डब्ल्यू. 01 परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से प्रदर्श डी. 03 धारा 138 एन.आई एक्ट परिवाद की प्रमाणित प्रति दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में घटना की ताईद नहीं की है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्त ने दिनांक 28-06-2024 को समय दोपहर करीब ढाई-तीन बजे लगभग मौजा बाईपास रोड़ अकलेरा स्थित परिवादी रितेश की दुकान से परिवादी रितेश से मारपीट करने के आशय से अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाकर उसका व्यपहरण इस आशय से किया कि उसका गुप्त रिति से सदोष परिरोध किया जाए तथा फरियादी रितेश का व्यपहरण कर उसे अपने मकान पर लाकर छिपाया अथवा कैद में रखकर फरियादी को फोश गालियां देकर साशय अपमानित करनते हुए लोक शांति भंग करने के लिए प्रकोपित किया तथा फरियादी रितेश से रूपए प्राप्त करने के आशय से उसको उद्यापित करने के प्रयोजन से फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 365, 368, 504, 327 भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हाँ, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी रितेश चौधरी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि दिनांक 28.06.2024 को दिन के 2.30 पीएम-3.00 पीएम के लगभग की बात है कि वह अपनी दुकान जो बाईपास रोड़ अनुमान जी की ढोली पर स्थित है जहां उसकी इलेक्ट्रोनिक की दुकान है। उस वक्त उसका बच्चा भी दुकान पर बैठा हुआ था व दुकान पर सीसी कैमरा भी लगा हुआ है जहां पर उक्त मुल्जिम लवी दुकान में घुस आया व आते ही गाली गलौच करने लगा व उसको खींचकर दुकान से बाहर खींच लाया व मारपीट करने लगा जिससे उसके सीधे हाथ की अंगुली पर व उल्टे हाथ की कोहनी के पास व आंख के उपर व पीठ पर व सिर में चोटें लगी हैं व मुल्जिम ने उसका मोबाईल भी फेंक दिया व मुल्जिम ने उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया व उसको बंधक बनाकर उसके घर 56 लाख कोलोनी में एक घंटै तक बैठाए रखा व वहां भी मुल्जिम ने उसके साथ मारपीट करी व पैसों की मांग करी व नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी तथा मुल्जिम ने 2 घंटे बाद उसको जाने दिया। उसकी पत्नी व पिता मुल्जिम के घर गए थे जिसके साथ भी मुल्जिम ने गाली गलौच की।,इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाह परीक्षित करवाये गये हैं, जिनमें सर्वप्रथम गवाह फरियादी रितेश कुमार चौधरी न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि वह लवी को पिछले चार पांच सालों से जानता है। लवी उसकी दुकान पर अकेले ही आया था। उक्त गवाह ने इस बात से इंकार किया है कि लवी अपने रूपए मांगने आया हो उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया था। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि लवी पैसे तो मांग रहा था पर उसे पता नहीं कि किस बात के मांग रहा था। इसके बाद में लवी के घर उसके साथ चला गया। वह गाड़ी में लवी के साथ आगे ही बैठा था। उसकी दुकान से लवी का घर लगभग आधा किमी की दूरी पर है। लवी जब उसे उसके घर पर ले गया था तब उसकी पत्नी व मम्मी बाद में आई। वह उस वक्त अपना होश खो बैठा था इसलिए उसे याद नहीं है। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि लवी के घर से वह अपने आप चला गया था। लवी के घर से उसके घर पर आते वक्त शाम का समय हो गया था। उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 कानूनी सलाह लेकर लिखाई थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 में लवी ने उसे सड़क पर धक्का देकर रेलिंग पर गिरा दिया हो, यह बात रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 में नहीं लिखी हुई है। पुलिस वालों ने उसका मेडिकल घटना के दूसरे या तीसरे दिन कराया होगा। उसने लवी जेठी को दिनांक 10.06.2024 को 10 लाख रूपए का चैक सेंट्रल बैंक का दिया था। उक्त गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि चैक बाउन्स का केस लगा रखा हो और उससे बचने के लिए यह केस लगाया हो। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि लवी ने उसके खिलाफ जो चैक बाउन्स का केस लगा रखा है उसमें आज उसकी जमानत हुई है।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 मोहम्मद शाहरूख है, जो कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 07 का गवाह है एवं क्रेटा कार हुंडई नं. आर.जे 17 सी.वी 5373 प्रदर्श पी. 08 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जो पेन ड्राईव पेश किया था उसके साथ कोई लेटर पेश नहीं किया। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 निरंजन कुमार है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट देने के बाद ही प्रकरण में अनुसंधान प्रारम्भ हुआ था। उसने पड़ोसी दुकानदारों से कोई पूछताछ नहीं की क्योंकि घटना का चश्मदीद गवाह उसका लड़का दुकान पर मौजूद था। गवाह रामावतार व अंतिमा चौधरी ने अपने बयानों के दौरान यह बताया था कि फरियादी रितेश चौधरी ने अभियुक्त लवी जेठी से दस लाख रूपए उधार ले रखे थे। रितेश चौधरी की दुकान से अभियुक्त के मकान की दूरी मेन बाजार, मोटर मार्केट व काफी बस्ती पड़ती है।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 04 नमोनारायण है जो कि फर्द जप्ती पेन ड्राईव प्रदर्श पी. 05 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसके सामने पेन ड्राईव को चलाकर नहीं देखा था। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 दिलीप कुमार है जो कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 07, फर्द जप्ती हुण्डई कार प्रदर्श पी. 08 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 09 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि अभियुक्त लवी उर्फ अभिषेक को थाने में ही गिरफ्तार किया था।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 06 आरूष चौधरी है जिसने न्यायालय बयान में कथन किया है कि जो व्यक्ति उनकी दुकान पर आया था जिसने उसके पापा के साथ गाली गलौच करी थी उसका नाम वगै. उसे पता नहीं है। पुलिस बयान में उसके पापा को धक्का देकर रेलिंग पर गिरने वाली बात नहीं बताई थी। उसके पापा उस व्यक्ति के साथ चले गए थे। गवाह पी.डब्ल्यू. 07 अब्दुल सलीम है जिसके समक्ष फरियादी रितेश चौधरी द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें उसके द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान निरंजन हैड कानि. को सुपुर्द कर दिया था।

16- गवाह पी.डब्ल्यू. 08 रामावतार है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि दुकान पर हुई घटना की सूचना करीब पौने तीन बजे मिली थी। उसे उसके पौते ने फोन किया था। इस घटना के संबंध में पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। लवी उसके लड़के से किस बात के पैसे मांग रहा था और किस बात को लेकर मारपीट की, उसे पता नहीं है। रितेश की दुकान से लवी के घर आते हैं तो आम रोड़ आता है जहां पर भीड़ भाड़ रहती है। पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 में के ए से बी भाग व सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। लवी जेठी के मकान के आसपास कई मकान है लेकिन वहां कोई नहीं रहते हैं। उसने लवी के घर जाने से पहले पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि लवी जेठी ने उसके लड़के रितेश के खिलाफ 10 लाख रूपए के चैक बाउंस का केस लगा रखा हो। वह रितेश के साथ थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं गया।

17- गवाह पी.डब्ल्यू. 09 अंतिमा है जिसने न्यायालय बयान में अपने मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसके बेटे

ने मारपीट करने वाले व ले जाने वाले का नाम नहीं बताया था। उसका बेटा लवी जेठी को जानता है जो उनके पीछे कॉलोनी में रहता है। उसके लड़के ने फोन पर उन्हें लवी का नाम नहीं बताया था। जब वे घर गए तब लवी मिला था जिसने उसके पति को बंदी बनाकर रख रखा था। उस वक्त लवी के घर पर उन्हें कोई नहीं मिला था। लवी का घर खुला हुआ था। उसके पति की दुकान भोपाल बाईपास पर थी। उसके पति की दुकान से लवी के घर पर आने के लिए जो रास्ता पड़ता है वह मैन बाजार से होकर पड़ता है। उसे यह पता नहीं है कि लवी जेठी ने उसके पति के उपर दस लाख रूपए का चैक बाउंस का केस लगा रखा हो, यह बात उसे रितेश ने कभी नहीं बताई।

18- साक्ष्य सफाई में अभियुक्त अभिषेक जेठी डी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसमें उसने अभिकथित किया है कि उसने फरियादी रितेश को दस लाख रूपए उधार दे रखे है जिसके बदले में रितेश ने उसे भुगतान हेतु दस लाख रूपए का चैक जारी कर रखा है। दिनांक 28.06.2024 को रितेश ने उसे उसकी दुकान पर बुलाया था और कहा था कि तुम्हारे पैसे ले जाओ। वह जब रितेश की दुकान पर गया तो उसने कहा कि मेरा चैक लाए हो अथवा नहीं। उसने कहा कि तेरा चैक मेरी जेब में रखा है, मुझे उसके पैसे दे दो मैं आपका चैक दे दूंगा। इस पर रितेश ने उसे पैसे नहीं दिए और उसके साथ छिना झपटी करने लगा व गाली गलौच करने लगा व कहने लगा कि अगर तूने मुझेसे पैसे मांगे तो मैं तुझे झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। इस पर वह वहां से आ गया था तथा उसके बाद उसने रितेश के द्वारा दिया चैक बैंक में लगा दिया था व उसके खिलाफ 138 एनआई का केस लगा दिया था जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी. 03 है। उसने रितेश के साथ कोई मारपीट नहीं की। जिरह एपीओ में उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि रितेश ने उनके खिलाफ जो मुकदमा कराया है उस मुकदमे के खिलाफ उन्होंने सरकार अथवा कहीं भी कार्यवाही नहीं की। रितेश से उसका पैसे का लेनदेन था।

19- इस प्रकार किसी भी गवाह की साक्ष्य से यह साबित नहीं हो पाया है कि मुल्जिम ने फरियादी के साथ कोई घटना कारित की हो। फरियादी स्वयं ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वह मुल्जिम को 4-5 साल से जानता है। इसके अतिरिक्त सभी गवाहों ने एक स्वर में कथन किया है कि फरियादी की मुल्जिम से घर की दूरी एक किलोमीटर पर है एवं आसपास ही बहुत से लोगों के मकान हैं एवं आम रोड़ है। अगर मुल्जिम फरियादी का जबरन अपहरण करता तो फरियादी आवश्यक रूप से शोर मचाता परंतु ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया गया और ना ही अभियोजन की ओर से आम रोड़ पर मौजूद लोगों एवं मुल्जिम लवी जेठी के आसपास के मकान के लोगों के बयान नहीं लिए गए। फरियादी के बेटे आरूष ने स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति उनकी दुकान पर आया था वह उनका नाम नहीं जानता वहीं दूसरी ओर गवाह पी.डब्ल्यू. 09 अंतिमा स्वीकार करती है कि उनका बेटा लवी जेठी को जानता है। अगर उनका बेटा लवी जेठी को जानता हे तो इस बाबत आवश्यक रूप से जिरह में कथन करता कि कौन व्यक्ति रितेश के साथ गाली गलौच कर रहा था। फरियादी एवं उसके पुत्र के अलावा घटना में कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं है। फरियादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने मुल्जिम को 10 लाख रूपए का चैक दे रखा था जिसमें आज

ही उसकी जमानत हुई है। उक्त चैक बाउंस होने पर मुल्जिम द्वारा फरियादी के विरूद्ध वह चैक लगा दिया है जिसकी प्रमाणित प्रति मुल्जिम लवी जेठी ने डी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित होकर पेश की है जो प्रदर्श डी. 03 है। किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि रितेश को धक्का देकर रेलिंग पर गिरा दिया हो। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिमान द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

20- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28-06-2024 को समय दोपहर करीब ढाई-तीन बजे लगभग मौजा बाईपास रोड़ अकलेरा स्थित परिवादी रितेश की दुकान से परिवादी रितेश से मारपीट करने के आशय से अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाकर उसका व्यपहरण इस आशय से किया कि उसका गुप्त रिति से सदोष परिरोध किया जाए तथा फरियादी रितेश का व्यपहरण कर उसे अपने मकान पर लाकर छिपाया अथवा कैद में रखकर फरियादी को फोश गालियां देकर साशय अपमानित करनते हुए लोक शांति भंग करने के लिए प्रकोपित किया तथा फरियादी रितेश से रूपए प्राप्त करने के आशय से उसको उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी को स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 365, 368, 504, 327 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

21- अतः अभियुक्त अभिषेक उर्फ लवी जेठी पुत्र मनोज जेठी, निवासी-छप्पन लाख कोलोनी, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़ को धारा 365, 368, 504, 327 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

22- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

23- निर्णय आज दिनांक 30-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(राजाराम मीना)
स्टनो ग्रेड III

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।